फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

सोहनलाल बनाम सुरजमल वगै0

...सा नम्बर :– 129/2025 वाद धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट.

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	09.07.2025	प्रार्थीया मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत निर्णय व डिक्री में संशोधन करवाने अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया गया है कि मुकदमा नम्बर 10/2023 बउनवानी सोहनलाल बनाम सुरजमल वगै0 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2025 को अन्तिम डिक्री पारित की गई है। इसके उपरान्त राज्य सरकार के सर्वे–रिसर्वे से वाद पत्र वर्णित भूमि खाता संख्या 306 के आराजी खसरा नम्बर 636 रकबा 2.35 है0, आराजी खसरा नम्बर 637 रकबा 0.79 है0, आराजी खसरा नम्बर 638 रकबा 0.61 है0, आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 0.62 है0, आराजी खसरा नम्बर 823 रकबा 1.84 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 6.21 है0 एवं नया खाता संख्या 153 के खसरा नम्बर 1202, 1203, 1204, 1207, 1213, 1215, 1218 कुल किता 07 कुल रकबा 6.2905 है0, वाके ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का लोहरवाडा, भू0अ0नि0 क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर बनाते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया है। अतः सर्वे–रसर्वे के दौराने गत खसरा नम्बर, रकबा से बनाये गये हाल खसरा नम्बर एवं रकबे को शामिल करते हुए पुनः संशोधित डिक्री एवं निर्णय किया जाना न्यायोचित एवं आवश्क है। बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली को रिकार्ड से तलब किया जाकर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना–पत्र एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के सर्वे–रिसर्वे के दौरान खसरा नम्बरान में संशोधन किया गया है। अतः प्राथीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर हाल ही में सर्वे–रिसर्वे के दौरान जारी हाल खसरा नम्बर एवं रकबे को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2025 में सर्वे–रिसर्वे से बने हाल खसरा नम्बर एवं रकबे को शामिल किया जाकर पुनः संशोधित निर्णय एवं संशोधित डिक्री जारी हो। पत्रावली फसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं, जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–10/2023

उनवान

सोहनलाल प्रजापत पुत्र सुरजमल जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. सुरजमल पुत्र चन्दाराम
2. सोहन पुत्र सुरजमल
3. मोहन पुत्र सुरजमल
4. बल्लूराम पुत्र सुरजमल
5. पप्पू पुत्र चन्दाराम (मृतक दौराने दावा)

 5/1. संतरा देवी पत्नी स्व0 पप्पू

 5/2. कृष्ण प्रजापत पुत्र स्व0 पप्पू

 5/3. विक्रम प्रजापत पुत्र स्व0 पप्पू

 क्रम संख्या 5/2 व 5/3 नाबालिक जरिये संरक्षिका माता संतरा देवी पत्नी स्व0 पप्पू

 समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

 5/4. सपना प्रजापत पत्नी दिनेश प्रजापत पुत्री स्व0 पप्पू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

 5/5. ज्योति प्रजापत पत्नी विकास प्रजापत पुत्री स्व0 पप्पू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

 5/6. पूजा प्रजापत पत्नी ओमप्रकाश प्रजापत पुत्री स्व0 पप्पू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

6. बाबूलाल पुत्र चन्दाराम
7. मदन पुत्र ग्यारसीलाल
8. कालू पुत्र ग्यारसीलाल
9. कमलेश पुत्र ग्यारसीलाल
10. तीजा पुत्री चन्दाराम
11. दिनेश कुमार पुत्र लल्लूराम
12. प्रकाशचन्द पुत्र लल्लूराम
13. सन्ती देवी पत्नी लल्लूराम
14. सुमन देवी पुत्री लल्लूराम
15. गीता पुत्री चन्दाराम
16. लाली देवी पत्नी स्व0 छीतरमल
17. मामराज पुत्र स्व0 छीतरमल
18. पूरणमल पुत्र स्व0 छीतरमल
19. मैना पुत्री स्व0 छीतरमल
20. हंसा पुत्री स्व0 छीतरमल
21. ममता पुत्री स्व0 छीतरमल

 समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

22. केशरमल पुत्र नाथूराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
23. कानाराम पुत्र गोपाल
24. छीतर पुत्र दूलाराम
25. छोटी पुत्री दूला
26. नन्नूराम पुत्र दूलाराम
27. पूरणमल पुत्र रामलाल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

28. फूली देवी पुत्री दूला (मृतक दौराने दावा)
28/1. रामू पुत्र स्व फूली देवी पत्नी मुरली
28/2. प्रहलाद पुत्र स्व0 फूली देवी पत्नी मुरली
28/3. बिदामी देवी पत्नी शिम्भूदयाल पुत्री स्व0 फूली देवी पत्नी मुरली
28/4. छुट्टन देवी पत्नी गोवर्धन पुत्री स्व0 फूली देवी पत्नी मुरली
29. बरजी पुत्री दूला
30. बंशीधर पुत्र गोपाल
31. भूरी देवी पत्नी रामलाल
32. मंजू देवी पुत्री रामलाल
समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
33. मन्नी पुत्री दुला (मृतक दौराने दावा)
33/1. मनफूली देवी पत्नी रामपाल पुत्री स्व0 मन्नी जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बासडीखुर्द, हरसोली, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
33/2. सन्ती देवी पत्नी लालाराम पुत्री स्व0 मन्नी, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
33/3. मीरा देवी पत्नी मोहन पुत्री स्व0 मन्नी, जाति कुम्हार, निवासा भारतीय गैस एजेन्सी के पास, ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
33/4. नन्छी देवी पत्नी कन्हैयालाल पुत्री स्व0 मन्नी, जाति कुम्हार, निवासी कुम्हारो की ढाणी, ग्राम भीलपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
33/5. बोदूराम पुत्र स्व0 मन्नी
33/6. मदन पुत्र स्व0 मन्नी
समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम भैंसावा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
34. महेश पुत्र रामलाल
35. मानाराम पुत्र मुरलीधर
समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
36. मालीराम पुत्र दुलाराम (मृतक दौराने दावा)
36/1. हनुमानसहाय पुत्र स्व0 मालीराम
36/2. सीताराम पुत्र स्व0 मालीराम
36/3. रामलाल पुत्र स्व0 मालीराम
36/4. सुरेश पुत्र स्व0 मालीराम
36/5. हरसहाय पुत्र स्व0 मालीराम
समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
36/6. मीरा देवी पुत्री स्व0 मालीराम, निवासी कुम्हारों की ढाणी, ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
37. राजू देवी पुत्री रामलाल
38. लाडा देवी पुत्री रामलाल
समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
39. लालचन्द पुत्र नाथूराम, जाति अहीर
40. श्रवण पुत्र मुरलीधर
41. सुरज्ञान पुत्र रामलाल
42. सोनाराम पुत्र दुलाराम
43. भगवानसहाय पुत्र स्व0 गोकुल
44. महेश पुत्र स्व0 गोकुल
45. सजना देवी पुत्री स्व0 गोकुल
समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
46. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
47. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
48. द फैडरल बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

सहायक [stamp] (फास्ट ट्रेक) चौमूं, जयपुर ...प्रतिवादीगण–

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अ0 धारा 88 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955)
संशोधित निर्णय

दिनांक :–09.07.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का लोहरवाडा, भू0अ0नि0 क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 306 के आराजी खसरा नम्बर 636 रकबा 2.35 है0, आराजी खसरा नम्बर 637 रकबा 0.79 है0, आराजी खसरा नम्बर 638 रकबा 0.61 है0, आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 0.62 है0, आराजी खसरा नम्बर 823 रकबा 1.84 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 6.21 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात भूमि ही वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजीयात है। विवादित आराजीयात पूर्व में वादी के दादा चन्दाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिनके स्वर्गवास के उपरान्त उक्त विवादित भूमियां वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आई तथा वर्तमान में विवादित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/50 भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त विवादित भूमियां वादी की पैतृक भूमियां रही है जिस कारण वादी का उक्त विवादित भूमियों में खाता संख्या 306 में पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 1/50 में से 1/4 भाग जन्म से ही अविभाजित रुप से निहित रहा है। वादी उक्त विवादित आराजीयात में अपने पैतृक हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है तथा शराब का आदि व्यक्ति है जो कि अपनी नशे की लत के कारण अपने हक हिस्से की भूमि को बैचान कर वदी को उसके हक अधिकार की पुश्तैनी भूमि से महरुम करने के आशय से विवादित भूमि को हडप कर जाना चाहता है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 का कोई विधिक हक अधिकार हांसिल नहीं है। दिनांक 11.01.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि जो कि पैतृक अविभक्त भूमि रही हैं, में वादी को उसके हक अधिकार की भूमि से महरुम करने की नियत से विवादित भूमि पर अपने साथ दीगर व्यक्तियों को लेकर आया तथा विवादित भूमि को बैचान, हस्तान्तरण करने के लिए दिखाने लगा जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि का बैचान, हस्तान्तरण नहीं करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को ऐलानियां धमकी देकर कहा कि उक्त विवादित भूमियां मेरे नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा तुम्हारा इससे कोई लेना–देना नहीं है एवं शीघ्र ही मैं अन्य दीगर व्यक्तियों से मिलीभगत कर विवादित भूमि को बैचान, हस्तान्तरण कर खुर्द–बुर्द कर दूंगा। मुझे शराब के लिये पैसे चाहिए यह कहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को धमकी दी गई जिस कारण वादी को उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश करना लाजमी आया है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 बाबत् घोषणा का डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 1/50 भाग में से 1/4 भाग का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजीयात का किसी दीगर व्यक्ति, संस्था आदि को बैचान, हस्तान्तरित नहीं करें, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेवें, ना ही निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही वादी को उसके हक अधिकार का भूमि से जबरियां बेदखल करें, ना ही नींव आदि खोदे तथा प्रतिवादी संख्या 46 उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, परिवर्धन नहीं करें तथा प्रतिवादी संख्या 47 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने सम्मुख उक्त विवादित भूमियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किसी भी लेख पत्र या अन्य हस्तान्तरण पत्र को तस्दीक नहीं करें। उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें अर्थात् विवादग्रस्त भूमियों की वर्तमान मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 22 व 39, 36/1 ता 36/5 जरिये वकालतन उपस्थित तथा शेष प्रतिवादीगण तामिल के बावजूद अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह सोहनलाल, जगदीश प्रसाद, गोपीराम आदि का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया तथा प्रदश–1 हाल जामबन्दी, प्रदर्श–2 गत जमाबन्दी भी प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में वकील उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इसमें वादी के द्वारा अपने वाद में मुख्य अनुतोष विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता का हिस्से 1/50 भाग में से 1/4 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहता है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी से स्पष्ट है कि सूरजमल पुत्र चन्दाराम हिस्सा 1/50 जाति कुम्हार वादी के पिता के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रदर्श–2 गत जमाबन्दी एवं संवत् 2053 की जमाबन्दी से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी के पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से पुश्तेनी भूमि साबित होती है। एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता के 4 जीवीत वारिस है। हिन्दु उत्तराधिकार नियम के तहत प्रतिवादी के 4 प्रथम पंक्ति के वारिस होने से

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वादित भूमि में सम्पूर्ण हित अधिकार निहित है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि वाके ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का लोहरवाडा, भू0अ0नि0 क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 306 के आराजी खसरा नम्बर 636 रकबा 2.35 है0, आराजी खसरा नम्बर 637 रकबा 0.79 है0, आराजी खसरा नम्बर 638 रकबा 0.61 है0, आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 0.62 है0, आराजी खसरा नम्बर 823 रकबा 1.84 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 6.21 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/50 में से वादी के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। शेष हिस्सा बदस्तुर रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों।

नोट :– उक्त अन्तिम डिक्री की पालना, सर्वे रिसर्वे के दौरान बने खसरा नम्बर एवं जारी मिलान क्षेत्रफल आदि के अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रै0 / मुख्यालय) चौमूँ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner